

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गम्हरिया।

cogamharia2@gmail.com

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
गम्हरिया।

पत्रांक.....383
दिनांक..12.04.23

प्रेषित,

श्री मृत्युंजय कुमार झा,
अध्यक्ष,
सितवान्तो देवी महिला कल्याण संस्थान,
बारीडीह बस्ती, जमशेदपुर।

विषय:-

Environmental Clearance हेतु भूमि संबंधी प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक- SDMKS/79/2023 दिनांक- 11.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा दिये गये आवेदन एवं संलग्न कागजात के आधार पर Environmental Clearance हेतु भूमि संबंधी प्रतिवेदन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

क्र० सं०	मौजा / थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	खतियान के अनुसार रकबा (एकड़ में)	खतियान	आवेदित भूमि का कुल रकबा	अभ्युक्ति
1	भाटिया / 127	60	22	6.32	वन विभाग बिहार सरकार	2.89 एकड़	हल्का कार्यालय में उपलब्ध खतियान जीर्ण-शीर्ण होने के कारण प्लॉट सं०- 354 एवं 302 का मिलान संभव नहीं हो पा रहा है।
2	हथियाडीह / 60	81	301	29.75	वन विभाग बिहार सरकार		
3			84	302			

उक्त भूमि से संबंधित सूचना निम्न है:-

क्र० सं०	निर्धारित बिन्दु	हाँ/नहीं
1	क्या आवेदित भूमि की कोटि सर्वे खतियान यथा रजिस्टर II में जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज है।	आवेदित दोनो मौजा की भूमि R.S सर्वे खतियान वर्ष 1964 के अनुसार वन विभाग बिहार सरकार खाते की भूमि है। परन्तु हल्का कार्यालय में उपलब्ध खतियान जीर्ण-शीर्ण होने के कारण प्लॉट सं०- 354 एवं 302 का मिलान संभव नहीं हो पा रहा है। आवेदित भूमि Application No. 2000002166, Allotment Order No- LA/AD/SW/00975/2023 दिनांक- 17.03.2023 द्वारा सितवान्तो देवी महिला कल्याण संस्थान, प्लॉट नं०- IT-8(P)-A, IT-9, IT-10 नियर 7 th फेज, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया, सरायकेला- खरसावाँ को 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न)
2	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई मानव वसाहत (Habitation) स्थित है।	नहीं
3	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई जलीय निकाय (Dam/ Reservoir) स्थित है।	नहीं


अंचल अधिकारी
गम्हरिया

4	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई नदी (River) स्थित है।	नहीं
5	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई शैक्षणिक संस्थान (Educational Institute) स्थित है।	नहीं
6	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई चिकित्सालय संस्थान (Hospital) स्थित है।	नहीं
7	क्या 10 किलो मीटर की परिधि में कोई अंतरराज्यीय (Interstate) सीमा है।	नहीं
8	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय (Monuments/ archaeological) महत्व के स्थल स्थित है।	नहीं

आवेदक के द्वारा झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग अधिसूचना सं०- वनभूमि 47/2009-1910 व०प०, राँची दिनांक 01.07.2009 की छायाप्रति कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें यह उल्लेख है कि आवेदित भूमि जिसे आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार के पक्ष में 25.10.1980 के पूर्व हस्तांतरित किया गया था के गैर- वानिकी उपयोग हेतु आयोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भूमि का विधिक स्वरूप यथावत रहेगा। उक्त अधिसूचना में प्लॉट नं०- 302 का उल्लेख नहीं है। (छायाप्रति संलग्न)

भवदीय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु०:- यथोक्त।


12/04/25
अंचल अधिकारी
गम्हरिया।